तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही	नम्बर ... की एवं ... में जारी
25/03/2026	पत्रावली पेश। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, विरासत नामान्तरण, राजस्व अभिलेख, तहसीलदार रिपोर्ट व पूर्व की जमाबंदियां आदि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व ग्राम खानापाड़ा पटवार हल्का मोहकमपुरा तहसील कुशलगढ़ में स्थित आराजी नं. 121, 123, 136, 159, 160, 161, 162, 168, 169, 185, 186, 197/186 कुल खेत 12 कुल रकबा 4.2370 हैक्टे. कुल लगान 0.3400 रु जो कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान उमेश वगैरह की संयुक्त खातेदारी व कब्जें काश्त की कृषि भूमि होकर वे मौके पर काबिज है। प्रार्थी ने स्वयं का वास्तविक नाम अजीतसिंह पुत्र मेहा जाति भील बताया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार पिता मेहा पुत्र वन्ना की मृत्यु के बाद वक्त नामान्तरण विरासत में अजीतसिंह पुत्र मेहा के स्थान पर एतरा पुत्र मेहा दर्ज रिकार्ड किया गया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार गलत नाम एतरा पुत्र मेहा के स्थान पर अजीतसिंह पुत्र मेहा दर्ज कर शुद्ध किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक होना बताया। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर करने के बाद तहसीलदार कुशलगढ़ से जांच रिपोर्ट ली गयी। भूमिधारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी का अध्यापक होकर राजकीय सेवा में होना बताया, परन्तु पत्रावली में अजीतसिंह नाम से राजकीय (राज्य सरकार) से संबंधित कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। भूमिधारी तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अनुशंसा भी नहीं की गयी है कि प्रार्थी का नाम शुद्धि किया जाना उचित है या नहीं। पत्रावली में प्रार्थी के द्वारा पात्रता सिद्ध करने हेतु सामान्य दस्तावेज (आधारकार्ड, पेन कार्ड, दसवीं की मार्कशीट) संलग्न है, जिसमें भी प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम भिन्न-भिन्न होना पाया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र में शुद्धि हेतु दिया गया नाम अजीतसिंह परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से मिलान (मेल) नहीं खा रहा है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के	

P.T.O...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/03/26	Continue... चार माह बाद 01.06.1981 से विरासत नामान्तरण से जमाबन्दी संवत 2058-58 से जमाबंदी संवत 2074-77 तक पार्थी का नाम मुतरा पुत्र मेता चला आ रहा, पार्थी के द्वारा 44 वर्ष बाद संज्ञान में आना बताया जाने के पश्चात बिना स्पष्ट प्रमाण पत्र दिये प्रार्थना पत्र न्यायालय में लगाया जाना तथा वादी वकील द्वारा इस संबंध में बहस में भी कोई प्रमाण नहीं दिये जाने से तथा पत्रावली या जांच रिपोर्ट में भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलने तथा इन सभी कारणों को मददेनजर रखते हुए मुतरा पिता मेहा के स्थान पर अबीतसिंह पिता मेहा किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र में वृद्धि हेतु कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं होने से इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया जाकर पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली को फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम की जावें। उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ (राज.)	

Scanned with CamScanner